संख्या-207/2016/आर-5539/26-3-2016-4(18)/2016

प्रेषक,

कामता प्रसाद,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0,लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 30 नवम्बर 2016

विषयः- अति पिछड़े अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्राम के सर्वांगींण विकास हेतु संचालित एकीकृत विकास योजना के अंतर्गत जनपद अम्बेडकरनगर के विकास कार्यो हेतु धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-1181-82/स.क./विकास/एकीकृत/149 अम्बेडकरनगर/2016-17, दिनांक-15.11.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अति पिछड़े अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्राम के सर्वांगींण विकास हेतु संचालित एकीकृत विकास योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान सं0-83 के अंतर्गत जनपद-अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड-भीटी, कटेहरी एवं टाण्डा में विकास कार्यो हेतु कुल रूपया-974.97 लाख की निम्नलिखित विवरण के अनुसार प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुये रूपया-322.451 लाख अर्थात पूर्णांक में रूपया-322.450 लाख (रूपया-72.450 लाख उपलब्ध प्राविधान से सीधे एवं रूपया-250.00 लाख पुनर्विनियोग के माध्यम से) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये आपके निवर्तन पर रखे जाने की निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

जनपद-अम्बेडकरनगर **(रू0 लाख में)**

क्र. सं.	विकास खण्ड का नाम	ग्राम का नाम	ग्राम में अनुसूचित जाति की आबादी का प्रतिशत	कार्य का नाम	कार्य की लागत	स्वीकृत धनराशि
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	भीटी	टण्डौली	36	खडंजा एवं लेपन कार्य	27.62	9.00
2	"	खरगापुर	29	इण्टर लाकिंग	32.90	10.50
3	"	खरगापुर	29	खडंजा एवं इण्टर लाकिंग	30.90	10.00
4	"	गौरा	34	शून्य से लेपन कार्य	86.30	28.50
5	"	भटौली	36	शून्य से लेपन कार्य	227.26	75.50
6	"	रामपुर हरिनन्दन	47	शून्य से लेपन कार्य	25.15	8.50
7	"	दारीडीहा	52	लेपन कार्य	76.92	25.50
8	कटेहरी	पीठापुर	46	खडंजा एवं इण्टर लाकिंग	26.54	8.50
9	"	हरिश्चन्द्रपुर	67	खडंजा एवं लेपन कार्य	128.69	42.50
10	"	बैजपुर	46	खडंजा एवं लेपन कार्य	47.54	15.45
11	"	आशाजीतपुर अहिरान	35	मिट्टी एवं लेपन कार्य	94.05	31.00
12	"	पीठापुर सरैया	33	मिट्टी एवं सी0सी0 रोड़	34.84	12.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

13	"	आशाजीतपुर अहिरान	35	खडंजा एवं इण्टर लाकिंग	79.53	26.50
14	टाण्डा	भड़सारी	40	खडंजा लेपन कार्य	12.70	4.50
15	"	महुवारी	31	खडंजा लेपन कार्य	44.03	14.50
				योग	**974.97**	**322.45**

(1)-निदेशक, समाज कल्याण द्वारा धनराशि सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी को आवंटित की जायेगी एवं जिलाधिकारी द्वारा शीघ्र एम0ओ0यू0 अनुबंध कराकर धनराशि आहरित कर कार्यदायी संस्था को दी जायेगी। उक्त कार्य हेतु यू0पी0स्टेट कान्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0,अम्बेडकरनगर को कार्यदायी संस्था नामित किया जाता है। कार्यदायी संस्था को धनराशि प्राप्त होने के तुरन्त बाद कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा। कार्य के निर्माण में विलम्ब होने से यदि लागत में बृद्वि होती है तो इसके लिये निर्माण एजेन्सी उत्तरदायी होगी।

(2)-स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग उन्ही कार्यो/मदों पर किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय/उपयोग वित्तीय अनियमितता होगी,जिसके लिए संबंधित जिले के जिलाधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(3)-कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्यो की प्रस्तावित लागत को यथावत मानते हुए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। अतएव स्वीकृत की जा रही धनराशि से निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा। प्रश्नगत निर्माण कार्य की गुणवत्ता एवं मात्राओं के संबंध में कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी/संबंधित जिलाधिकारी उत्तरदायी होगें।

(4)-संबंधित जिलाधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत हैं और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में प्रस्तावित है।

(5)-स्वीकृत की जा रही धनराशि का सम्पूर्ण उपभोग होने के उपरान्त कराये गये कार्यो का फोटोग्राफ के साथ जिलाधिकारी के माध्यम से उपभोग प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा तदोपरान्त अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने पर यथासमय विचार किया जायेगा।

(6)- उपर्युक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र नियमानुसार महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद एवं शासन को प्रत्येक माह में उपलब्ध कराया जायेगा।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या-83 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-"4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो का कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-10-अति पिछड़े अनुसूचित जाति समूहों के लिए एकीकृत विकास योजना-1003-सम्पर्क मार्ग का निर्माण-24-बृहद निर्माण कार्य" के सुसंगत इकाइयों के नामे डाला जायेगा तथा व्यय संलग्न प्रपत्र बी-एम-9 (पार्ट-1) के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षको में उपलब्ध बचतों से पुर्नविनियोग कर वहन किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746-दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च 2016 में निहित प्राविधानों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

कामता प्रसाद
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृ0संख्या-207/2016/आर-5539 (1)/26-3-2016 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. जिलाधिकारी, अम्बेडकरनगर।
3. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
4. कोषाधिकारी, अम्बेडकरनगर।
5. अधिशासी अभियंता, यू0पी0स्टेट कान्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0, इकाई फैजाबाद।
6. जिला समाज कल्याण अधिकारी अम्बेडकरनगर।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
8. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/गार्डफाइल।

आज्ञा से,

कामता प्रसाद
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बी0एम0–9 (भाग–1)

पुर्नविनियोग की स्वीकृति के लिए आवेदन

(संदर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर–158)

अनुदान संख्या व नाम– अनुदान संख्या–83 समाज कल्याण विभाग वित्तीय वर्ष 2016–17 (धनराशि रूपये हजार में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संकमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्षक (15 डिजिट कोड में) आयोजनागत	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संकमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संकमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संकमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग (2–5)
1	2	3	4	5	6
4225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो का कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण–आयोजनागत–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–10–'अति पिछड़े अनुसूचित जाति समूहों के लिए एकीकृत विकास योजना–					
1001–पेयजल व्यवस्था–24–बृहद निर्माण कार्य	5000	5000	5000	5000	00
1002–आवास निर्माण–24–बृहद निर्माण कार्य	5000	5000	5000	5000	00
1004–सामुदायिकविकास केन्द्र का निर्माण–24–बृहद निर्माण कार्य	15000	15000	15000	15000	00
योग :	**25000**	**25000**	**25000**	**25000**	**00**

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संकमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्षक (15 डिजिट कोड में) आयोजनागत	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संकमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9–8)	वित्तविभाग द्वारा अनुमोदित संकमण की धनराशि	संकमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/विनियोग(8+11)
7	8	9	10	11	12
4225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो का कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण– आयोजनागत– 789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–10–'अति पिछड़े अनुसूचित जाति समूहों के लिए एकीकृत विकास योजना–1003–सम्पर्क मार्ग का निर्माण–24–बृहद निर्माण कार्य	150000	175000	25000	25000	175000
योग :	**150000**	**175000**	**25000**	**25000**	**175000**

(1) स्तम्भ–3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:– स्तम्भ–1 में उल्लिखित मदो का प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण बचत हो रही है।

(2)– स्तम्भ–8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ–9 में अंकित अधिक व्यय निम्न कारणों से है–
वास्तविक आवश्यकता के कारण

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुर्नविनियोग में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर 150, 151, 154 व 155 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या–आर0ए0–201/बी–1– /दस–2016 दिनांक 28 नवम्बर ,2016

सेवा में,
महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी प्रथम)
उ0प्र0, इलाहाबाद।

(कामता प्रसाद)
अनुसचिव
समाज कल्याण विभाग।

(मनोज सिंह)
प्रमुख सचिव
समाज कल्याण विभाग।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

http://shasanad

पृ0संख्या–27/2016/आर–5539(1) /26–3–2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा)प्रथम उ0प्र0, इलाहाबाद।
2–जिलाधिकारी, अम्बेडकरनगर।
3–कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
4–कोषाधिकारी, अम्बेडकरनगर।
5–अधिशासी अभियंता, यू0पी0स्टेट कान्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0।
6–जिला समाज कल्याण अधिकारी अम्बेडकरनगर।
7–वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1(02 प्रतियों में)
8–समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)।
9–गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(कामता प्रसाद)
अनुसचिव

http://shasa

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।